11

समग्र शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश

(सेकेण्ड्री एजुकेशन)

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्र./स.शि.अ./CWSN/RPWD/2023-24/1305 भोपाल, दिनांक- 19/7/2023

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले,म.प्र.
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले, म.प्र.

विषय-दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने विषयक।

संदर्भ-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/समग्र/CWSN/RPWD/2022-23/1566 भोपाल दिनांक 27.07.2022

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत दिव्यांग अधिकार अधिनियम नियम 2016, दिनांक 19 अप्रैल 2017 से प्रभावशील है। इस अधिनियम की धारा 31(1) के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में संदर्भित पत्र के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में भी निर्देशित किया गया था। उक्त के संबंध में जिलातंर्गत किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया था। ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में कई विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है एवं किन्हीं विद्यालयों में शिक्षण शुल्क में कुछ छूट दी जा रही है। उक्त आचरण वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन है एवं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान का उल्लंघन है।

अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है एवं उनके जिलातंर्गत किसी भी विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लिया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः-संदर्भित पत्र।

(अनुभा श्रीवास्तव) 18/7
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान (सेके.एजु.)जिला-धार

दूरभाष : 07292-223816 email :dhar.rmsa@gmail.com

कमांक/समग्र शिक्षा/CWSN/2023/406 धार दिनांक 19/07/2023

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
2. कलेक्टर जिला धार ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला धार ।
4. सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला धार की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि आपके अधीनस्थ विकासखण्ड अंतर्गत समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. विद्यालयों में उपरोक्त पत्रानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. जिला धार की ओर भेजकर कर लेख है कि उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

19/7/23

जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा (सेके.एजु.)
जिला धार

Scanned with CamScanner

समग्र शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश
(सेकेण्ड्री एजुकेशन)
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. / स.शि.अ. / CWSN / RPWD / 2023–24 / 1305 भोपाल, दिनांक– 19/7/2023

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले,म.प्र.
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले, म.प्र.

विषय–दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने विषयक।
संदर्भ–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / समग्र / CWSN / RPWD / 2022–23 / 1566 भोपाल दिनांक 27.07.2022

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत दिव्यांग अधिकार अधिनियम नियम 2016, दिनांक 19 अप्रैल 2017 से प्रभावशील है। इस अधिनियम की धारा 31(1) के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में संदर्भित पत्र के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में भी निर्देशित किया गया था। उक्त के संबंध में जिलातंर्गत किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया था। ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में कई विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है एवं किन्ही विद्यालयों में शिक्षण शुल्क में कुछ छूट दी जा रही है। उक्त आचरण वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन है एवं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान का उल्लंघन है।

अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है एवं उनके जिलातंर्गत किसी भी विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लिया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः–संदर्भित पत्र।

(अनुभा श्रीवास्तव) 18/7
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्र. / स.शि.अ. / CWSN / RPWD / 2023–24 / 1306 भोपाल, दिनांक– 19/7/2023

प्रतिलिपिः–

1. अपर परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभीय संयुक्त संचालक, समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र. 18/7

Scanned with CamScanner

(1)

समग्र शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश
(सेकेन्डरी एजुकेशन)

क्र./समग्र./CWSN/RPWD/2022–23/1566 भोपाल, दिनांक– 27/07/2022

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिलें म.प्र.

विषयः–दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने बावत्।
संदर्भ:–क्रमांक/रमसा./IEDSS/RPWD–2018–03/1785 भोपाल दिनांक 27.05.2020

---00---

कृपया संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 19 अप्रैल 2017 से प्रभावशील हैं। उक्त अधिनियम के निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत निबंधनों के क्रियान्वयन यथा 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु के दिव्यांग बच्चों को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं:–

1. धारा–3 समता एवं अविभेद।
2. धारा–6 क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार संरक्षा।
3. घारा–20 नियोजन में विभेद न करना।
   धारा–21 समान अवसर नीति।
5. धारा–31(1), 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना।

कतिपय स्थानों पर प्राचार्यो द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों से शुल्क मांगे जाने तथा प्रवेश देने से इंकार किये जाने की शिकायत संचालनालय को प्राप्त हुई हैं।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलांतर्गत कहीं भी ऐसी शिकायत प्राप्त न हों। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत कार्यवाही करें।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

क्र./समग्र./CWSN/RPWD/2022–23/1567 भोपाल, दिनांक– 27/07/2022

प्रतिलिपि–

1. अपर परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

Scanned with CamScanner